(7)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष : मनोज गोयल**
**प्रशासकीय सदस्य**

निगरानी प्र0 क0 1578–एक/2011 विरूध्द आदेश दिनांक 30–08–11 पारित अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 24/09–10 अपील.

भेरूलाल आत्मज हीरालाल मालवीय
निवासी ग्राम कुकड़ेश्वर, तह. मनासा,
जिला नीमच, म0प्र0

––– आवेदक

विरूध्द

बगदूराम आत्मज खेमराज मालवीय
निवासी ग्राम कुकड़ेश्वर, तह. मनासा,
जिला नीमच, म0प्र0

––– अनावेदक

श्री एन0एस0 सिसौदिया, अभिभाषक – आवेदक
श्री अखलाक कुरैशी, अभिभाषक– अनावेदक

## :: आदेश ::

**(आज दिनांक 3/6/2015 को पारित)**

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के अपील प्रकरण कमांक 24/09–10 में पारित आदेश दिनांक 30–08–11 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक भेरूलाल ने इस आशय का आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 2634 पर आने जाने, बैलगाड़ी आदि ले जाने का रास्ता सर्वे नम्बर 2633 की पश्चिमी मेड़ से उत्तर से दक्षिण दिशा में है, किन्तु अनावेदक बगदूराम व्दारा सर्वे नं0 2633 की पश्चिमी मेड़ पर टाटी का ताला लगाकर रास्ता बन्द कर दिया है। अतः उन्होंने संहिता की धारा 131/32 के अन्तर्गत रास्ता खुलवाने का अनुरोध किया। तहसीलदार व्दारा प्रकरण पंजीबध्द कर कार्यवाही प्रारम्भ की। तहसीलदार ने दिनांक 2–3–07 को स्थल निरीक्षण करने के बाद धारा 32 के अन्तर्गत अन्तरिम आदेश दिनांक 06–03–07 पारित कर प्रश्नाधीन आने जाने की सुविधा तोड़ी गई फाटक यथावत करने तथा खुले पशु अनावेदक की फसल को नुकसान नहीं करने की शर्त पर प्रदान किया। तहसीलदार ने प्रकरण में साक्ष्य प्रति–साक्ष्य लेने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 30–9–08 व्दारा संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदनपत्र स्वीकार किया और आवेदक भेरूलाल को अपने स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 2634 पर आने जाने, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि सामान लाने ले जाने हेतु अनावेदक बगदूराम की कृषि भूमि सर्वे क्र0 2633 की पश्चिमी मेड़ के रास्ते में किसी प्रकार से रूकावट पैदा नहीं करने के आदेश दिये। उन्होंने यह भी आदेश दिये कि आवेदक ध्यान रखे की आने जाने में अनावेदक की फसल को किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो। अतः तहसीलदार व्दारा प्रश्नाधीन रास्ते के अवरोध हटाने के आदेश दिये। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अनावेदक बगदूराम व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 19–10–09 व्दारा अपील इस आधार पर स्वीकार की गयी है कि सर्वे नम्बर 2633 की भूमि के पूर्वी मेड़ पर वैकल्पिक मार्ग बताया गया है जिसे बगदूराम व्दारा स्वीकार किया गया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी ने बगदूराम की स्वीकारोक्ति के आधार पर पूर्वी मेड़ से रास्ता दिये जाने के आदेश दिये हैं। इस आदेश के विरूध्द आवेदक भेरूलाल व्दारा प्रस्तुत व्दितीय अपील

अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 30–8–11 व्दारा खारिज की। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि विचारण तहसील न्यायालय में प्रस्तुत की गयी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से सर्वे क्रमांक 2634 पर आने जाने, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि सामान लाने ले जाने हेतु अनावेदक बगदूराम की कृषि भूमि सर्वे क्र0 2633 की पश्चिमी मेड़ के वहीवटी रास्ता होना सिध्द है। अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभिलेख एवं साक्ष्य से बाहर जाकर मात्र कयासों के आधार पर वेकल्पिक मार्ग होने के आधार पर आदेश पारित किया गया है। अपीलीय न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेज, व्यवहार न्यायालय की कमिश्नर रिपोर्ट, मौका पंचनामा, उभय पक्ष के बीच हुआ अनुबंध, नजरी नक्शा आदि पर कोई विचार नहीं किया गया। उनका यह भी तर्क है कि अपर आयुक्त ने भी व्दितीय अपील में आदेश पारित करते समय साक्ष्य एवं प्रति–साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य आदि पर कोई विचार नहीं किया गया। अंत में आवेदक अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर तहसीलदार का आदेश यथावत रखते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया ।

4/ अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक के स्वत्व की भूमि पर आने जाने के लिये सर्वे नं0 2634 की पूर्वी मेड़ से वेकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, इसलिये उभय पक्ष की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पूर्वी मेड़ से रास्ता खुला करने के आदेश दिये गये हैं जिसमें कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है जिसे व्दितीय अपील में अपर आयुक्त व्दारा यथावत रखा गया है। अंत में अनावेदक अभिभाषक ने निवेदन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

5/ विचारण तहसील न्यायालय में व्यवहार न्यायालय की कमिश्नर रिपोर्ट, मौका पंचनामा, उभय पक्ष के बीच हुआ अनुबंध, नजरी नक्शा, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है जिस पर विचार कर तहसीलदार ने अनावेदक की कृषि भूमि सर्वे नं0 2633 की पश्चिमी मेड़ से अवरोध हटाकर रास्ता चालू रखने के आदेश दिये हैं। अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण तहसील न्यायालय में प्रस्तुत की गयी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर कोई विचार किये बिना अनावेदक बगदुराम की स्वीकारोक्ति एवं पंचनामें में संलग्न नक्शे के आधार पर पूर्वी मेड़ से वैकल्पिक रास्ता होने के आधार पर अपील स्वीकार की गयी है। मैने तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 57—58 पर उपलब्ध पंचनामा दिनांक 2—3—03 तथा नजरी नक्शा का अवलोकन किया। नजरी नक्शा में 'ए' से 'बी' तक मौके पर विवादित रास्ता है जिस पर गाड़ी के पहियों के निशान होकर पड़त भूमि होना अंकित है। 'सी' से 'डी' तक वेकल्पिक रास्ता बताया गया, जहॉ मौके पर फसल खड़ी है तथा मौके पर कोई चिन्ह नहीं है। नजरी नक्शा में 'ए' से 'बी' के शुरू में 'एफ' अंकित किया गया है और इस संबंध में अंकित है कि 'एफ' चिन्हांकित स्थल पर लकड़ी फाटक अध जला पड़ा है तथा रास्ता का विवाद उक्त फाटक है। इससे स्पष्ट है कि अनावेदक व्दारा वहीवटी रास्ते पर फाटक लगाकर उसे अवरूध्द किया गया तथा मौके पर आवेदक व्दारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं था। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। विव्दान अपर आयुक्त व्दारा भी आदेश पारित करते समय विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की गयी साक्ष्य प्रति—साक्ष्य आदि पर कोई विचार नहीं किया, जबकि विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय अनुविभागीय अधिकारी के आदेश तथ्य के संबंध में एक—दूसरे से विपरीत थे, इसलिये व्दितीय अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त को समस्त साक्ष्य पर विचारकर आदेश पारित करना चाहिये था। अतः अपर आयुक्त का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–08–11 तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–10–09 विधिसम्मत् नहीं होने से निरस्त किये जाते है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–09–2008 यथावत रखा जाता है।

( मनोज गोयल )
**प्रशासकीय सदस्य,**
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर